संख्या- 11/2016 /907/26-2-2016

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत समाजवादी पेंशन योजना में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 में समाजवादी पेंशन योजना के लिए हुए बजट प्राविधान रू0 30.00 करोड़ में से 01 प्रतिशत प्रशासनिक मद हेतु धनराशि रू0 0.30 करोड़ (रू0 तीस लाख मात्र) तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु रू0 29.70 करोड़ (रू0 उन्तीस करोड़ सत्तर लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 30.00 करोड़ (रू0 तीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(2) समाजवादी पेंशन योजना हेतु व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) निदेशक, समाज कल्याण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय, योजनान्तर्गत आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत समायोजित रखा जायेगा। धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर व्यय की जायेगी।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- आयोजनागत-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-796-जनजातीय उप क्षेत्र योजना-05-समाजवादी पेंशन योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-11/2016/907 (1)/26-2-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक, जनजाति विकास निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- राज्य योजना आयोग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3

8- समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।